

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक: एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/2014-15/ 9420

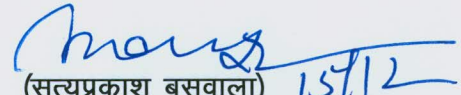
जयपुर, दिनांक: 15/12/14

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर पंचायत)।

विषय:- सरपंच चुनाव हेतु उम्मीदवारी वापिस लेने पर जमानत राशि लौटाने के संबंध में।

पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पंचायत सर्किल के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सरपंच चुनाव के उम्मीदवार से नाम निर्देशन पत्र के साथ ली जाने वाली जमानत राशि का प्रावधान राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 56 (3) के अंतर्गत दिया हुआ है।

यदि सरपंच के उम्मीदवार द्वारा चुनाव में अपनी उम्मीदवारी वापिस ले ली गई हो तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उम्मीदवार को जमानत राशि तुरन्त लौटा दी जावे।


(सत्यप्रकाश बसवाला)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।

क्रमांक: एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/2014-15/ 9421-22
प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु -

जयपुर, दिनांक: 15/12/14

1. निजी सहायक, उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग को समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को ई-मेल करने हेतु।
2. कम्प्यूटर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग को आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


उपसचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग